मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/ 4206 **भोपाल, दिनांक** 08**/02/2024**

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों मे अधिसूचित कृषि उपज की नियमन व्यवस्था अंतर्गत लाइसेंस व्यवस्था के सरलीकरण के उद्देश्य से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से "मंडी समितियो के लिये लागू उपविधि सन 2000" में संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23/2/2024 तक उपविधि में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन अनिवार्य रूप से स्थापित करें।

मंडी समिति में सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि में मंडी समिति द्वारा उपविधि संशोधन करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि का उक्त संशोधन मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति के द्वारा किए गए समझे जाएंगे और तदुपरांत संशोधन दिनांक 24/2/2024 से मंडी समिति पर आबद्धकर होंगे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (पृष्ठ क्रमांक 03 से 42 **तक)।**

08/02/24
(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/ 4207 भोपाल, दिनांक 08 /02/2024

प्रतिलिपि

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - _________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध कराएं।
4. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
5. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति _________ जिला _________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलंब प्रेषित करें।
6. विधि शाखा/गार्ड फाईल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

"मंडी समितियो के लिये लागू उपविधि सन 2000" में संशोधन

उपविधि कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
18	**कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना :-**	**कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना :-**
(1)	(1) **आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस -** अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ निम्नानुसार आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा -	(1) **आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस -** अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ निम्नानुसार आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा -

वर्तमान प्रावधान:

अनुज्ञप्ति का प्रकार	आवेदन प्ररूप	आवेदन फीस	अनुज्ञप्ति फीस (पांच वर्ष हेतु)
(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-अ	रु 100	रु 5000
(अ-1) शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की/ सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ	रु 100	रु 5000
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ (1)	रु 100	रु 2500
(अ-3) किसान उत्पादक कंपनी (FPC) हेतु	पांच-अ (2)	निरंक	रु 1000

संशोधित प्रावधान:

अनुज्ञप्ति का प्रकार	आवेदन प्ररूप	आवेदन फीस	अनुज्ञप्ति फीस (तीस वर्ष हेतु)
(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-अ	रु 100	रु 5000
(अ-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ	रु 100	रु 5000
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ (1)	रु 100	रु 2500
(अ-3) किसान उत्पादक	पांच-अ (2)	निरंक	रु 1000

व्यापारी अनुज्ञप्ति			
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ (3)	रु 100	रु 25000
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-ब	रु 100	रु 5000
(ब-1) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति अर्द्धशासकीय, शासकीय, सरकारी स्वामित्व की / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	पांच-ब	रु 100	रु 5000
(स- 1) तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति	पांच-स	निरंक	रु 500 एक वर्ष हेतु रु 100
(स-2) हम्माल अनुज्ञप्ति	पांच-स	निरंक	रु 200 एक वर्ष हेतु रु 50
(स-3) सर्वेक्षक/ भांडागारिक/ दलाल / परिवहनकर्ता हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-स	रु 100	रु 5000

कंपनी (FPC)/ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति			
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ (3)	रु 100	**रु 5000**
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-ब	रु 100	रु 5000
(ब-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अंतर्गत** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था**/ सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	पांच-ब	रु 100	रु 5000
(स- 1) तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति	पांच-स	निरंक	रु 500
(स-2) हम्माल अनुज्ञप्ति	पांच-स	निरंक	रु 200
(स-3) सर्वेक्षक/ दलाल/ परिवहनकर्ता/ **ग्रेडर/ असेयर** हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-स	रु 100	रु 5000

(2)(क)	**(2)(क) - नवीन अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन -** अधिनियम की धारा 02 में परिभाषित मंडी कृत्यकारी, अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मंडी समिति से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए यथास्थिति नियत प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जैसा कि प्रबंध संचालक समय-समय पर निर्देशों में विहित करें. आवेदक, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा, एमपी ऑनलाइन पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर लॉगिन कर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। परंतु अधिनियम में दी गई व्यापारी की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता को, जो कृषि उपज को क्रय करके प्रसंस्करण या विनिर्माण उपरांत विक्रय करता है, तो प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के साथ-साथ व्यापारी के रूप में भी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में ऑनलाइन अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति दिनांक के एक माह पूर्व से लेकर वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात् तक की समयावधि में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तीन माह पश्चात् तक की यह समयसीमा अधिकतम होगी। इस दौरान नवीनीकरण हेतु आवेदन किए जाने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति वैधता समाप्ति दिनांक से मान्य किया जाएगा। उक्त तीन माह पश्चात की अवधि में नवीनीकरण आवेदन	**(2)(क) - नवीन अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन -** अधिनियम की धारा 02 में परिभाषित मंडी कृत्यकारी, अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मंडी समिति से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए यथास्थिति नियत प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जैसा कि प्रबंध संचालक समय-समय पर निर्देशों में विहित करें. आवेदक, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा, एमपी ऑनलाइन पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर लॉगिन कर अपना ऑनलाइनं आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। परंतु अधिनियम में दी गई व्यापारी की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता को, जो कृषि उपज को क्रय करके प्रसंस्करण या विनिर्माण उपरांत विक्रय करता है, तो प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के साथ-साथ व्यापारी के रूप में भी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में ऑनलाइन अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति दिनांक के एक माह पूर्व से लेकर वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात् तक की समयावधि में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तीन माह पश्चात् तक की यह समयसीमा अधिकतम होगी। इस दौरान नवीनीकरण हेतु आवेदन किए जाने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति वैधता समाप्ति दिनांक से मान्य किया जाएगा।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>प्रस्तुत किए जाने पर प्रति माह (या उसके खंड के लिए) रुपये 500/- का विलंब शुल्क संबंधित मंडी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
उक्त नियत समयसीमा (अनुज्ञप्ति वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात् तक की समयावधि) के उपरांत नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर, उक्तानुसार विलंब शुल्क प्राप्त किया जाकर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आगामी स्वीकृति दिनांक से ही किया जाएगा। इस बीच गैर अनुज्ञप्ति अवधि में किया गया व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण अवैध होकर मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही योग्य होगा.

परंतु यह और कि तुलैया अथवा तुलावटी तथा हम्माल को विकल्प होगा कि वह अनुज्ञप्ति का वार्षिक नवीनीकरण करा सकते है।</td>
<td>अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के प्रकरणों में आवेदक को समयपूर्व ही अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति दिनांक की सूचना प्रेषित की जाएगी जिससे आवेदक समय से नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकें. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि ई अनुज्ञा पोर्टल पर संबंधित व्यापारी लॉगिन पर भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)(ख)</td>
<td>(2)(ख) - अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं आवश्यक अभिलेख -
पात्रता -
<table>
<tr><td>(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति</td><td>कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.</td></tr>
<tr><td>(अ-1) शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति</td><td>केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की / सरकार द्वारा प्रवर्तित, सहकारी संस्था.</td></tr>
<tr><td>(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति</td><td>कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार</td></tr>
</table>
</td>
<td>(2)(ख) - अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं आवश्यक अभिलेख -
पात्रता -
<table>
<tr><td>(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति</td><td>कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी.</td></tr>
<tr><td>(अ-1) केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सरकारी स्वामित्व की संस्था/ सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति</td><td>केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सरकारी स्वामित्व की संस्था/ / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था.</td></tr>
<tr><td>(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति</td><td>कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी हो.
(अ-3) किसान उत्पादक कंपनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के अधीन स्थापित किसान उत्पादक कंपनी
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(ब-1) , शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन शासकीय, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्था.
(स- 1) तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति	1. म प्र का निवासी. 2. आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं.

	कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार / सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी हो.
(अ-3) किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के अधीन स्थापित किसान उत्पादक कंपनी **अथवा सहकारिता विधि अंतर्गत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन**
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(ब-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अंतर्गत** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था.
(स- 1) तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति	1. म प्र का निवासी. 2. आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं. 3. कम से कम (प्राइमरी स्कूल) पांचवी कक्षा तक शिक्षित होना

	3. कम से कम (प्राइमरी स्कूल) पांचवी कक्षा तक शिक्षित होना अनिवार्य. (यह अनिवार्यता पूर्व से कार्यरत तुलैया अथवा तुलावटी पर लागू नहीं)
(स-2) हम्माल अनुज्ञप्ति	1. म प्र का निवासी. 2. आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं.
(स-3) सर्वेक्षक/ भांडागारिक/ दलाल / परिवहनकर्ता हेतु अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.

आवश्यक अभिलेख

सभी तरह की व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति तथा सर्वेक्षक/भांडागारिक/दलाल/ परिवहनकर्ता अनुज्ञप्ति (उपरोक्त क्रमांक अ, अ-1, अ-2, अ-4, ब, ब-1, स3) हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

	अनिवार्य. (यह अनिवार्यता पूर्व से कार्यरत तुलैया अथवा तुलावटी पर लागू नहीं)
(स-2) हम्माल अनुज्ञप्ति	1. म प्र का निवासी. 2. आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं.
(स-3)सर्वेक्षक/ दलाल/ परिवहनकर्ता/ **ग्रेडर/ असेयर** हेतु अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.

आवश्यक अभिलेख

सभी तरह की व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति तथा सर्वेक्षक/ दलाल/ परिवहनकर्ता/ **ग्रेडर/ असेयर** अनुज्ञप्ति (उपरोक्त क्रमांक अ, अ-1, अ-2, अ-4, ब, ब-1, स3) हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) **ऑनलाइन अनुज्ञप्ति पोर्टल पर अपलोड** करना होगा: **(ऐसे दस्तावेज जोकि मूल प्रति में मंडी कार्यालय में जमा किए जाने है उनका विशेष उल्लेख आगे कर दिया गया है, आवेदक को इनके अतिरिक्त और कोई दस्तावेज मंडी कार्यालय में पृथक से जमा नहीं करना होगा.)**

	i. **व्यक्तिगत अथवा प्रोपराईटरशिप फर्म होने पर :** • आवेदक अर्थात प्रोपराईटरशिप फर्म के स्वामी का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप). • आवेदक का आधार क्रमांक. • आवेदक का समग्र आईडी. • आवेदक का आयकर PAN. • प्रोपराईटरशिप फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. • प्रोपराईटरशिप फर्म का आयकर PAN. • प्रोपराईटरशिप फर्म का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN). • प्रोपराईटरशिप फर्म का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN). • आवेदक तथा प्रोपराईटरशिप फर्म के बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य). • उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन. • कृषि उपज भंडारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध. • गोदाम का नक्शा. • मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी. • पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.	i. **व्यक्तिगत अथवा प्रोपराईटरशिप फर्म होने पर :** • आवेदक अर्थात प्रोपराईटरशिप फर्म के स्वामी का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप). • आवेदक का आधार क्रमांक. **(वैकल्पिक)** • आवेदक का आयकर PAN. • प्रोपराईटरशिप फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र. • प्रोपराईटरशिप फर्म का आयकर PAN. • प्रोपराईटरशिप फर्म का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN). • प्रोपराईटरशिप फर्म का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN). • आवेदक तथा प्रोपराईटरशिप फर्म के बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य). • उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन. **(विवरण मात्र दिया जाना है.)** • कृषि उपज भंडारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध. गोदाम का नक्शा. • **व्यापार के मुख्य स्थल, मंडी क्षेत्र अंतर्गत व्यापार के मुख्य स्थल, स्थानीय कार्यालय, अन्य स्थल का विवरण तथा Geo Location. (विवरण मात्र दिया जाना है.)** • मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप). • पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN. **(विवरण मात्र दिया जाना है.)** • क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप - छः अनुसार. • सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप - सात अनुसार.

	• मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर मंडी समिति के दो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का परिचय एवं गारंटी का प्रमाण. • क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप - छः अनुसार. • सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप - सात अनुसार. • व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र प्ररूप – सात (अ) अनुसार. • निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी. • मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति • बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – सात (स) अनुसार. • स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध • केवल भण्डारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र. • केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र. ii. **गैर व्यक्तिगत अर्थात पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि होने पर** • आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा आवेदक का प्राधिकार पत्र, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी. • आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप). • आवेदक का आधार क्रमांक. • आवेदक का समग्र आईडी. • आवेदक का आयकर PAN.	• व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र प्ररूप – सात (अ) अनुसार. • बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – सात (स) अनुसार. • केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र. • केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र. • निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)** • मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)** • स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)** ii. **गैर व्यक्तिगत अर्थात पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि होने पर** • आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा आवेदक का प्राधिकार पत्र, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी. • आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप). • आवेदक का आधार क्रमांक. **(वैकल्पिक)** • आवेदक का आयकर PAN. • आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)

	• आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन) • आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो) • आवेदनकर्ता संस्था के शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) अथवा संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) में सम्मिलित सभी सदस्यों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी. • आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN. • आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN). • आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN). • आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य). • आवेदनकर्ता संस्था की उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन. • कृषि उपज भंडारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध. • गोदाम का नक्शा. • मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी. • पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.	• आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो) • आवेदनकर्ता संस्था के शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) अथवा संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) में सम्मिलित सभी सदस्यों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक. **(विवरण मात्र दिया जाना है.)** • आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN. • आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN). • आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN). • आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य). • आवेदनकर्ता संस्था की उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन.**(विवरण मात्र दिया जाना है.)** • कृषि उपज भंडारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध. गोदाम का नक्शा. • **व्यापार के मुख्य स्थल, मंडी क्षेत्र अंतर्गत व्यापार के मुख्य स्थल, स्थानीय कार्यालय, अन्य स्थल का विवरण तथा Geo Location. (विवरण मात्र दिया जाना है.)** • मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप) • पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.**(विवरण मात्र दिया जाना है.)** • क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप - छः अनुसार. • सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप - सात अनुसार.

	• मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर मंडी समिति के दो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का परिचय एवं गारंटी का प्रमाण. • क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप - छः अनुसार. • सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप - सात अनुसार. • व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र प्ररूप – सात (अ) अनुसार. • निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी. • मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति • बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – सात (स) अनुसार. • स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध • केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र. • केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र. iii. शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था आदि होने पर व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा: • शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्था होने पर कार्यालय प्रमुख अथवा अधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकार पत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे.	• व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र प्ररूप – सात (अ) अनुसार. • बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – सात (स) अनुसार. • केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र. • केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र. • निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)** • मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)** • स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)** iii. केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सरकारी स्वामित्व की संस्था/ सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु आदि होने पर व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा: • शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सहकारी संस्था होने पर कार्यालय प्रमुख, अथवा अधिकृत प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र के साथ, आवेदन कर सकेंगे. • आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र. (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)

	• आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन) • आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो) • आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN. • आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN). • आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN). • आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य). • मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी. • पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि करने की एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN. iv. किसान उत्पादक कंपनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति हेतु: किसान उत्पादक कंपनी (FPC) हेतु राज्य शासन / म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो) उक्त (i), (ii), (iii) व (iv) में उल्लेखित अभिलेख की उपलब्धता / अनुपलब्धता के संबंध में मंडी सचिव द्वारा प्रकरण में स्वविवेक से स्पष्ट अभिलिखित निर्णय लिया जा सकेगा	• आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो) • आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN. • आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN). • आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN). • आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य). • मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण. • पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि करने की एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN. **(विवरण मात्र दिया जाना है.)** iv. किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन(FPO) हेतु: **किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन(FPO)** हेतु राज्य शासन / म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो) उक्त (i), (ii), (iii) व (iv) में उल्लेखित अभिलेख की उपलब्धता / अनुपलब्धता के संबंध में मंडी सचिव द्वारा प्रकरण में स्वविवेक से स्पष्ट अभिलिखित निर्णय लिया जा सकेगा।

		iv. **तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति तथा हम्माल अनुज्ञप्ति** • **आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण.** • **आवेदक की उम्र का प्रमाण.** • **आवेदक का आधार क्रमांक. (वैकल्पिक)** • **शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण.** **v.** सर्वेक्षक/ दलाल / परिवहनकर्ता/ **ग्रेडर /असेयर** हेतु अनुज्ञप्ति • आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण. • आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा आवेदक का प्राधिकार पत्र, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी. (**पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** आदि की स्थिति में) • आवेदक का आधार क्रमांक. **(वैकल्पिक)** • आवेदक का आयकर PAN. • आवेदनकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप फर्म/ **पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** का पंजीयन प्रमाण पत्र, **(कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)** • आवेदनकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप फर्म/ **पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** का आयकर PAN. • आवेदनकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप फर्म/ प्रोपराईटरशिप फर्म/ **पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN). • आवेदनकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप फर्म/ **पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** के बैंक खातों का विवरण.

(2)(ग)	(2)(ग) - **आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान.** ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में निर्धारित आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान नकद (केवल कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर) अथवा नेटबैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / अन्य ऑनलाइन भुगतान माध्यम से (पोर्टल से स्वयं आवेदन करने पर) किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में, समय-समय पर नियत पोर्टल शुल्क का भुगतान भी करना होगा। उक्तानुसार प्राप्त आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस, एमपी ऑनलाइन (या इस संबंध में अन्य सेवा प्रदाता एजेंसी, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) के द्वारा मण्डियों को नियत प्रक्रिया, जैसा कि प्रबंध संचालक समय-समय पर निर्देशों में विहित करें, अनुसार अंतरित की जाएगी।	(2)(ग) - **आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान.** ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में निर्धारित आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान नकद (केवल कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर) अथवा नेटबैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / अन्य ऑनलाइन भुगतान माध्यम से (पोर्टल से स्वयं आवेदन करने पर) किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में, समय-समय पर नियत पोर्टल शुल्क का भुगतान भी करना होगा। उक्तानुसार प्राप्त आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस, एमपी ऑनलाइन (या इस संबंध में अन्य सेवा प्रदाता एजेंसी, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) के द्वारा मंडी समितियों को नियत प्रक्रिया, जैसा कि प्रबंध संचालक समय-समय पर निर्देशों में विहित करें, अनुसार अंतरित की जाएगी।
(2)(घ)	(2)(घ) – **अनुज्ञप्ति आवेदन का निराकरण.** ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक पात्रता एवं अभिलेखों की पूर्ति होने पर ही स्वीकार हो सकेगा। एमपी ऑनलाइन पर पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर सभी तरह से पूर्ण आवेदन, मंडी सचिव के लॉगिन पर उपलब्ध होंगे। नवीन अनुज्ञप्ति के प्रकरण में नई नस्ती बनाकर अथवा नवीनीकरण आवेदन के मामले में आवेदक की पुरानी नस्ती के साथ ही, आवेदन को नियत प्ररूप में पंजीबद्ध करते हुए यथास्थिति मंडी निरीक्षक या मंडी सचिव को आगामी कार्यवाही के लिये प्रकरण हस्तांतरित किया जाएगा।	(2)(घ) – **अनुज्ञप्ति आवेदन का निराकरण.** - ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक पात्रता एवं अभिलेखों की पूर्ति होने पर ही स्वीकार हो सकेगा। एमपी ऑनलाइन पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर सभी तरह से पूर्ण आवेदन, मंडी सचिव के लॉगिन पर उपलब्ध होंगे। नवीन अनुज्ञप्ति के प्रकरण में नई नस्ती बनाकर अथवा नवीनीकरण आवेदन के मामले में आवेदक की पुरानी नस्ती के साथ ही, आवेदन को नियत प्ररूप में पंजीबद्ध करते हुए यथास्थिति मंडी निरीक्षक या मंडी सचिव को आगामी कार्यवाही के लिये प्रकरण हस्तांतरित किया जाएगा।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>इस नस्ती पर बाज़ार व्यवस्था शाखा, मंडी शुल्क शाखा, लेखा सत्यापन शाखा, अनुज्ञा शाखा, लेखा शाखा तथा अन्य संबंधित शाखा प्रभारियों का अभिमत प्राप्त किया जाएगा।

मंडी सचिव, आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच, मंडी निरीक्षक अथवा सहायक उप निरीक्षक से कराएंगे। सभी संबंधित शाखाओं से अभिमत प्राप्त होने एवं आवश्यक जांच के उपरांत मंडी सचिव द्वारा आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का स्पष्ट निर्णय अभिलिखित किया जाकर अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की जाएगी।
अस्वीकृति की दशा में केवल अनुज्ञप्ति फीस नकद राशि अथवा चेक के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अथवा आवेदक को हस्तगत कर वापस कर दी जाएगी ।

यह समस्त कार्यवाही आवेदन प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह में पूर्ण करली जाएगी।

आवेदक अथवा आवेदनकर्ता संस्था के पूर्व से किसी मंडी में व्यतिक्रमी एवं बकायादार होने की स्थिति में नवीन अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाएगी।

मंडी सचिव, अनुज्ञप्ति स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के निर्णय से मंडी समिति को आगामी सम्मेलन में सूचनार्थ अवगत कराएंगे।</td>
<td>इस नस्ती पर बाज़ार व्यवस्था शाखा, मंडी शुल्क शाखा, लेखा सत्यापन शाखा, अनुज्ञा शाखा, लेखा शाखा तथा अन्य संबंधित शाखा प्रभारियों का अभिमत प्राप्त किया जाएगा।

आवेदक तथा/ अथवा आवेदनकर्ता संस्था के PAN एवं GSTIN के विवरण की जांच ई-अनुज्ञा पोर्टल पर उपलब्ध व्यापारियों के Database से की जाएगी जिससे आवेदक तथा/ अथवा आवेदनकर्ता संस्था के पूर्व से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति में अनुज्ञप्तिधारी होने का मिलान किया जा सकेगा.

मंडी सचिव, आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच, मंडी निरीक्षक अथवा सहायक उप निरीक्षक से कराएंगे। सभी संबंधित शाखाओं से अभिमत प्राप्त होने एवं आवश्यक जांच के उपरांत मंडी सचिव द्वारा आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का स्पष्ट निर्णय अभिलिखित किया जाकर अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की जाएगी। अनुज्ञप्ति, एमपी ऑनलाइन पर पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर मंडी सचिव के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट / ई साइन से ऑनलाइन ही जारी की जाएगी. कृषि उपज मंडी द्वारा अनुज्ञप्ति की हार्ड कॉपी पृथक से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. आवेदक अथवा आवेदनकर्ता संस्था भी लाइसेंस पोर्टल से स्वयं ही अनुज्ञप्ति डाउनलोड कर सकेंगे.

अस्वीकृति की दशा में कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा ही, केवल अनुज्ञप्ति फीस नकद राशि अथवा चेक के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अथवा आवेदक को तत्काल हस्तगत कर वापस कर दी जाएगी ।</td>
</tr>
</table>

		यह समस्त कार्यवाही आवेदन प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह में पूर्ण करली जाएगी। आवेदक अथवा आवेदनकर्ता संस्था के पूर्व से किसी मंडी में व्यतिक्रमी एवं बकायादार होने की स्थिति में नवीन अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाएगी। **सर्वेक्षक/ दलाल / परिवहनकर्ता/ ग्रेडर/ असेयर हेतु अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त भौतिक आवेदन के लिए भी मंडी के द्वारा उक्तानुसार निराकरण कार्यवाही 6 सप्ताह में पूर्ण करली जाएगी तथा भौतिक रूप से सचिव द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी.** **मंडी सचिव, अनुज्ञप्ति स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के निर्णय से मंडी समिति को आगामी सम्मेलन में सूचनार्थ अवगत कराएंगे।**
(3)	(3) – व्यक्तिगत प्रतिभूति अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तिया को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न रहे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति / फर्म से प्ररूप - छ: में घोषणा पत्र तथा क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा जिसके अनुरूप आवेदक को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफडीआर) मंडी समिति के पक्ष में बनवाकर अथवा बैंक गारंटी, मंडी समिति कार्यालय में जमा करनी होगी । या उतनी राशि की स्थावर / अचल संपत्ति के मूल अभिलेख मंडी समिति कार्यालय में जमा कराते हुए आवेदक को मंडी समिति के पक्ष में प्रबंध संचालक द्वारा निर्देशों में विहित नियत प्ररूप में वैधानिक अनुबंध करना होगा कि यदि वह विक्रेता को भुगतान करने	(3) – व्यक्तिगत प्रतिभूति अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/पक्का आढ़तिया को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न रहे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/ फर्म से प्ररूप - छ: में घोषणा पत्र तथा क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा जिसके अनुरूप आवेदक को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफडीआर) मंडी समिति के पक्ष में बनवाकर अथवा बैंक गारंटी, मंडी समिति कार्यालय में जमा करनी होगी । या उतनी राशि की स्थावर/ अचल संपत्ति के मूल अभिलेख मंडी समिति कार्यालय में जमा कराते हुए आवेदक को मंडी समिति के पक्ष में प्रबंध संचालक द्वारा निर्देशों में विहित नियत प्ररूप में वैधानिक अनुबंध करना होगा कि यदि वह विक्रेता को भुगतान करने में असफल रहता है तो

	में असफल रहता है तो उक्त स्थावर संपत्ति मंडी समिति द्वारा बेची जाकर मंडी समिति विक्रेता को भुगतान कर सकती है । या मंडी समिति द्वारा निर्धारित की गई प्रतिभूति की राशि नगद जमा की जाएगी एवं रसीद प्राप्त की जाएगी। परंतु प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी जारी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदमुद्रा सहित) प्ररूप - सात-स में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा। व्यक्तिगत प्रतिभूति के प्रमाण स्वरुप प्ररूप - सात-अ में आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि कीजाएगी। यदि आवेदक के द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका संपूर्ण भुगतान व्यक्तिगत प्रतिभूति की राशि मे से किया जाएगा।	उक्त स्थावर संपत्ति मंडी समिति द्वारा बेची जाकर मंडी समिति विक्रेता को भुगतान कर सकती है । या मंडी समिति द्वारा निर्धारित की गई प्रतिभूति की राशि नगद जमा की जाएगी एवं रसीद प्राप्त की जाएगी। परंतु प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी जारी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदमुद्रा सहित) प्ररूप - सात-स में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा। व्यक्तिगत प्रतिभूति के प्रमाण स्वरुप प्ररूप - सात-अ में आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि कीजाएगी। यदि आवेदक के द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका संपूर्ण भुगतान व्यक्तिगत प्रतिभूति की राशि मे से किया जाएगा।
(4)	(4) - सामूहिक प्रतिभूति अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तिया को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न रहे प्ररुप-छः में	(4) - सामूहिक प्रतिभूति अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/पक्का आढ़तिया को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न

	घोषणा पत्र तथा क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। सामूहिक प्रतिभूति के लिए मंडी में कार्यरत समस्त व्यापारी संगठन मंडी समिति कार्यालय में पंजीबद्ध होंगे एवं व्यापारियों के मामले में व्यापारी संगठनों को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफडीआर) मंडी समिति के पक्ष मे बनवाकर अथवा बैंक गारंटी, मंडी समिति कार्यालय में जमा करना होगी एवं आवेदन के साथ प्ररूप - सात-ब में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। परंतु प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी जारी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदमुद्रा सहित) प्ररूप - सात-स में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा। मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि संबंधित व्यापारी घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी। यदि आवेदक के द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका संपूर्ण भुगतान सामूहिक प्रतिभूति की राशि मे से किया जाएगा।	रहे प्ररुप-छः में घोषणा पत्र तथा क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। सामूहिक प्रतिभूति के लिए मंडी में कार्यरत समस्त व्यापारी संगठन मंडी समिति कार्यालय में पंजीबद्ध होंगे एवं व्यापारियों के मामले में व्यापारी संगठनों को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफडीआर) मंडी समिति के पक्ष मे बनवाकर अथवा बैंक गारंटी, मंडी समिति कार्यालय में जमा करना होगी एवं आवेदन के साथ प्ररूप - सात-ब में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। परंतु प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी जारी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदमुद्रा सहित) प्ररूप - सात-स में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा। मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि संबंधित व्यापारी घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी। यदि आवेदक के द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका संपूर्ण भुगतान सामूहिक प्रतिभूति की राशि मे से किया जाएगा।
(5)	**(5) - प्रतिभूति की सीमा एवं निराकरण -** अधिनियम की धारा 17(2) के खंड ग्यारह (क) एवं ग्यारह (ख) के अंतर्गत विक्रता को भुगतान की जोखिम न रहे इस हेतु ली जाने वाली व्यक्तिगत, सामूहिक प्रतिभूति जो एफडीआर / नगद / बैंक	**(5) - प्रतिभूति की सीमा एवं निराकरण -** अधिनियम की धारा 17(2) के खंड ग्यारह (क) एवं ग्यारह (ख) के अंतर्गत विक्रता को भुगतान की जोखिम न रहे इस हेतु ली जाने वाली व्यक्तिगत, सामूहिक प्रतिभूति जो एफडीआर/ नगद/ बैंक गारंटी/ स्थावर

गारंटी/स्थावर संपत्ति/के रूप में ली जाएगी उसकी निम्नानुसार न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाती है :

अनुज्ञप्ति का प्रकार	प्रतिभूति
(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	न्यूनतम रुपये 1,00,000 /- अथवा एक दिन की क्रय क्षमता अनुज्ञप्ति अनुसार (जो भी अधिक हो) (प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।)
(अ-1) शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	प्रतिभूति से मुक्त
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किए जाने का प्रतिबंध होने से प्रतिभूति से मुक्त
(अ-3) किसान उत्पादक कंपनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	किसान उत्पादक कंपनी (FPC) हेतु राज्य शासन/म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा

संपत्ति के रूप में ली जाएगी उसकी निम्नानुसार न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाती है :

अनुज्ञप्ति का प्रकार	प्रतिभूति
(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	न्यूनतम रुपये 1,00,000 /- अथवा एक दिन की क्रय क्षमता अनुज्ञप्ति अनुसार (जो भी अधिक हो) (प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।)
(अ-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था**, सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	प्रतिभूति से मुक्त
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किए जाने का प्रतिबंध होने से प्रतिभूति से मुक्त
(अ-3) किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** हेतु राज्य शासन/म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो)

	समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो)
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किए जाने का प्रतिबंध होने से प्रतिभूति से मुक्त
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	न्यूनतम रुपये 1,00,000 /- अथवा एक दिन की क्रय क्षमता अनुज्ञप्ति अनुसार (जो भी अधिक हो) (प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।)
(ब-1) शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	प्रतिभूति से मुक्त

किसान उत्पादक कंपनी (FPC) हेतु राज्य शासन / म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार (जो भी लागू हो) प्रावधान लागू होंगे।

(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किए जाने का प्रतिबंध होने से प्रतिभूति से मुक्त
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	**कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किए जाने का प्रतिबंध होने से प्रतिभूति से मुक्त**
(ब-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अंतर्गत** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	प्रतिभूति से मुक्त

किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन (FPO) हेतु राज्य शासन / मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार (जो भी लागू हो) प्रावधान लागू होंगे।

मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति -

मंडी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक के लिए (उक्त अ, ब के लिए) उक्तानुसार प्रतिभूति के निम्नानुसार अतिरिक्त प्रतिभूति, मंडी समिति के पक्ष मे नकद, सावधि जमा अथवा बैंक गारंटी की प्रतिभूति मंडी समिति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

"अ" वर्ग की मंडी हेतु	न्यूनतम रुपये 3.00 लाख
"ब" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 2.00 लाख
"स" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 1.50 लाख
"द" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 1.00 लाख

मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाए गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए।

ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।

मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति -

व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति - मंडी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक के लिए उक्तानुसार प्रतिभूति के निम्नानुसार **अतिरिक्त प्रतिभूति**, मंडी समिति के पक्ष मे नकद, सावधि जमा अथवा बैंक गारंटी की प्रतिभूति मंडी समिति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

"अ" वर्ग की मंडी हेतु	न्यूनतम रुपये 3.00 लाख
"ब" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 2.00 लाख
"स" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 1.50 लाख
"द" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 1.00 लाख

मंडी क्षेत्र में स्थानीय कार्यालय की स्थापना कर लेने पर उक्त अतिरिक्त प्रतिभूति दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

अतिरिक्त प्रतिभूति का यह प्रावधान किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन (FPO) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए लागू नहीं होगा.

मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाए गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए।

ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।

	प्रतिभूति का निराकरण : यदि कृषक विक्रेताओं की भुगतान की राशि अथवा / एवं मंडी के कोई शोध्य शेष / बकाया, यदि कोई हो तो, उक्त प्रतिभूति में से वसूल की जाकर शेष राशि वापस की जाएगी। स्थावर/अचल संपत्ति के प्रतिभूति के रूप में वैधानिक अनुबंध की स्थिति में संपत्ति भू-राजस्व बकाया की वसूली के क्रम में कुर्की की जाकर कृषक विक्रेताओं की भुगतान की राशि अथवा / एवं मंडी के कोई शोध्य शेष / बकाया वसूल किया जाएगा।	प्रतिभूति का निराकरण : यदि कृषक विक्रेताओं की भुगतान की राशि अथवा / एवं मंडी के कोई शोध्य शेष / बकाया, यदि कोई हो तो, उक्त प्रतिभूति में से वसूल की जाकर शेष राशि वापस की जाएगी। स्थावर/अचल संपत्ति के प्रतिभूति के रूप में वैधानिक अनुबंध की स्थिति में संपत्ति भू-राजस्व बकाया की वसूली के क्रम में कुर्की की जाकर कृषक विक्रेताओं की भुगतान की राशि अथवा / एवं मंडी के कोई शोध्य शेष / बकाया वसूल किया जाएगा।
(6)	**(6) अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि -** मूलतः अनुज्ञप्ति की अवधि अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने के दिनाँक से पाँच वर्ष तक होगी। परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि उपरांत प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, स्वीकृत होने के दिनाँक से ही पाँच वर्ष की अवधि हेतु किया जाएगा। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में निर्धारित समयावधि पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति की समाप्ति दिनाँक से ही पाँच वर्ष तक नवीनीकृत की जा सकेगी। यदि मंडी समिति की राय में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी / प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/ पक्का आढ़तिया का कार्य तथा आचरण संतोषप्रद पाया जाता है तब अनुज्ञप्ति की अवधि निम्नानुसार आवश्यक शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर जीवन भर के लिए बढ़ा दी जाएगी :	**(6) अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि -** मूलतः अनुज्ञप्ति की अवधि अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने के दिनाँक से **तीस** वर्ष तक होगी। परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन निंर्धारित समयावधि उपरांत प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, **ऑनलाइन आवेदन** स्वीकृत होने के दिनाँक से ही **तीस** वर्ष की अवधि हेतु किया जाएगा। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में निर्धारित समयावधि पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति की समाप्ति दिनाँक से ही **तीस** वर्ष तक अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की जा सकेगी। पार्टनरशिप फर्म की दशा में पार्टनर्स के नामों में परिवर्तन होने पर अथवा कंपनी की दशा में संचालकगण के नामों में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन के चौदह दिवस के भीतर मंडी समिति को लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। मंडी समिति उपयुक्त परीक्षण के बाद इस परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेकर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी। **आवेदक संस्था के नाम परिवर्तन अथवा आवेदक संस्था के संगठन में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त किसी आवेदन के संबंध में मंडी के**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>अनुज्ञप्ति का प्रकार</th><th>अनुज्ञप्ति फीस (जीवन भर के लिए)</th></tr>
<tr><td>(अ) व्यापारी/ पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति</td><td>रु. 2,50,000/-</td></tr>
<tr><td>(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति</td><td>रु. 10,00,000/-</td></tr>
</table>

परंतु पार्टनरशिप फर्म की दशा में पार्टनर्स के नामों में परिवर्तन होने पर अथवा कंपनी की दशा में संचालकगण के नामों में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन के चौदह दिवस के भीतर मंडी समिति को लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। मंडी समिति उपयुक्त परीक्षण के बाद इस परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेकर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी।
</td>
<td>द्वारा संबंधित का आवेदन, नाम परिवर्तन अथवा संगठन में परिवर्तन के समर्थन में पर्याप्त शासकीय दस्तावेज, शपथपत्र आदि का परीक्षण उपरांत ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल पर नाम परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जाएगा जिससे मंडी सचिव के लॉगिन पर पुनः मूल आवेदन उपलब्ध हो सकेगा जिसमें मंडी सचिव के स्तर से आवश्यक संशोधन किया जाकर डिजिटल सिग्रेचर उपरांत अद्यतन संशोधित अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी. यह कार्यवाही आवेदन प्राप्ति के चौदह दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी.</td>
</tr>
<tr>
<td>(7) (1)</td>
<td>(7) अनुज्ञप्ति जारी करना -
आवेदन प्राप्त होने पर उपयुक्त जांच की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आवेदन यदि स्वीकृत किया जाता है तब प्ररूप - आठ में अनुज्ञप्ति मोटे कागज पर जारी की जाएगी। अनुज्ञप्ति पर सचिव के हस्ताक्षर / डिजिटल सिग्रेचर होगें ।

ऑनलाइन आवेदन करने पर अनुज्ञप्ति एमपी ऑनलाइन के पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) से भी डाउनलोड की जा सकेगी।
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति को कांच फ्रेम में जड़वा कर प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित किया जाएगा।</td>
<td>(7)(1)अनुज्ञप्ति जारी करना -
आवेदन प्राप्त होने पर उपयुक्त जांच की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आवेदन यदि स्वीकृत किया जाता है तब ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्ररूप {प्ररूप - आठ (1), प्ररूप - आठ (2), प्ररूप - आठ (3), प्ररूप - आठ (4), प्ररूप - आठ (5), प्ररूप - आठ (6), प्ररूप - आठ (7) प्ररूप - आठ (8)} में अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। अनुज्ञप्ति पर सचिव के हस्ताक्षर / डिजिटल सिग्रेचर होगें ।

ऑनलाइन आवेदन करने पर अनुज्ञप्ति एमपी ऑनलाइन के पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) से भी डाउनलोड की जा सकेगी ।
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति को कांच फ्रेम में जड़वा कर प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित किया जाएगा।</td>
</tr>
</table>

(7) (2)	(7)(2)-नवीन प्रावधान अंतःस्थापित किया जा रहा है।	(7)(2) व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति के संबंध में ई अनुज्ञा पोर्टल पर प्रविष्टि - **व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति के संबंध में ई अनुज्ञा पोर्टल पर निम्न अनुसार आवश्यक शुद्ध प्रविष्टि (केवल अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में) की जाएगी -** • **अनुज्ञप्ति क्रमांक.** • **लाइसेंसी संस्था का व्यापारिक नाम (Trade Name/ Business Name).** • **Trader, Proprietor अथवा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम.** • **PAN.** • **GSTIN.** • **व्यापार के मुख्य स्थल का विवरण - पता तथा Geo Location (अक्षांश तथा देशांश).** • **व्यापार के अन्य स्थलों (यदि कोई हो) का विवरण - पता तथा Geo Location (अक्षांश तथा देशांश).** • **अनुज्ञप्ति वैधता अवधि - स्वीकृति दिनांक, वैधता समाप्ति दिनांक.** • **मंडी कार्य हेतु नियुक्त व्यक्तियों के नाम.** • **मोबाइल नंबर** • **ईमेल आईडी** • **लाइसेंस का प्रकार - व्यापार, प्रसंस्करण/विनिर्माण, भंडारण, वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार.** • **FPC/ FPO होने की स्थिति.** • **प्रतिभूति का विवरण - प्रकार (एफडीआर/नगद/बैंक गारंटी/स्थावर संपत्ति) तथा मूल्य (राशि).** • **प्रतिभूति में छूट की स्थिति.**
(8)	(8) कपास के प्रत्येक क्रेता के लिए उसके द्वारा क्रय की गई कपास की तौल स्वयं के द्वारा स्थापित अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित अथवा	(8) कपास के प्रत्येक क्रेता के लिए उसके द्वारा क्रय की गई कपास की तौल स्वयं के द्वारा स्थापित अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित अथवा मंडी

	मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक तौल कांटे पर कराना अनिवार्य होगा। अन्य अधिसूचित कृषि उपजों के तौल के संबंध में भी मंडी समिति इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्तों में सम्मिलित कर सकती है किंतु इस संबंध में मंडी समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर कम से कम एक माह पूर्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।	समिति द्वारा अनुज्ञप्ति अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक तौल कांटे पर कराना अनिवार्य होगा। अन्य अधिसूचित कृषि उपजों के तौल के संबंध में भी मंडी समिति इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्तों में सम्मिलित कर सकती है किंतु इस संबंध में मंडी समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर कम से कम एक माह पूर्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। **(कोई परिवर्तन नहीं।)**
(9)	(9) **हम्माल तुलावटी के अक्षम होने पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना :-** कृषि उपज मंडी के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, तुलावटियों की मृत्यु अथवा कार्य करने में असक्षम होने के परिणामस्वरूप उनके एक अर्हत आश्रित को उक्त हम्माल, तुलावटी के स्थान पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाएगी।	(9) **हम्माल तुलावटी के अक्षम होने पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना :-** कृषि उपज मंडी के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, तुलावटियों की मृत्यु अथवा कार्य करने में असक्षम होने के परिणामस्वरूप उनके एक अर्हत आश्रित को उक्त हम्माल, तुलावटी के स्थान पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाएगी। **(कोई परिवर्तन नहीं।)**

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (1)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

_____________ जिला _____________

व्यापारी/पक्का आढ़तिया अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक _____________
दिनांक_____/_____/__________

श्री/ श्रीमति/ कुमारी/ मेसर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/संस्था/हिंदू अविभक्त परिवार/सोसाइटी/कोऑपरेटिव सोसाइटी/अन्य) _____________ (पूरा नाम), _____________ (पूरा पता) को दिनांक _____/_____/__________ को **व्यापारी/पक्का आढ़तिया* कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक** अर्थात दिनांक _____/_____/__________ तक प्रभावशील रहेगी।

2. उक्त अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति / सामूहिक प्रतिभूति (सावधि जमा/बैंक गारंटी/ स्थावर/अचल संपत्ति विलेख) की राशि रुपये _____________, एवं वैधता दिनांक _____/_____/__________ तक है।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
__________जिला__________

*जो भी लागू हो.

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
   (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (2)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

____________________ जिला ____________________

प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक ____________________

दिनांक_____/_____/__________

श्री/ श्रीमति/ कुमारी/ मेसर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/संस्था/हिंदू अविभक्त परिवार/सोसाइटी/कोऑपरेटिव सोसाइटी/अन्य) ______________________________________(पूरा नाम), ____(पूरा पता) को दिनांक _____/_____/__________ को **प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता* कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक** अर्थात दिनांक _____/_____/__________ तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
__________जिला__________

*जो भी लागू हो.

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
   - (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (3)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

____________________ जिला ____________________

केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सरकारी स्वामित्व की संस्था/ सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक ____________________

दिनांक_____/_____/__________

मेसर्स (**केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सरकारी स्वामित्व की संस्था/ सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था)**______________________________(पूरा नाम) ,____(पूरा पता) को दिनांक _____/_____/__________ को **व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता* कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक** अर्थात दिनांक _____/_____/__________ तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
__________जिला__________

*जो भी लागू हो.

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
   - (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (4)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

____________________ जिला ____________________

किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन (FPO) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक ____________________
दिनांक_____/_____/__________

मेसर्स **(किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन (FPO))** ______________________________(पूरा नाम), ______________________________(पूरा पता) को दिनांक _____/_____/__________ को **व्यापारी कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है। यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक** अर्थात दिनांक _____/_____/__________ तक प्रभावशील रहेगी।

2. उक्त अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति / सामूहिक प्रतिभूति (सावधि जमा/बैंक गारंटी/ स्थावर/अचल संपत्ति विलेख) की राशि रुपये ______________, एवं वैधता दिनांक _____/_____/__________ तक है।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
__________जिला__________

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
   - (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (5)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

____________________ जिला ____________________

केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक ____________________
दिनांक_____/_____/__________

श्री/ श्रीमति/ कुमारी/ मेसर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/संस्था/हिंदू अविभक्त परिवार/सोसाइटी/कोऑपरेटिव सोसाइटी/अन्य) ________________________________(पूरा नाम), ____(पूरा पता) को दिनांक _____/_____/__________ को **केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक** अर्थात दिनांक _____/_____/__________ तक प्रभावशील रहेगी।

2. उक्त अनुज्ञप्ति केवल वाणिज्यिक संव्यवहार हेतु स्वीकृत/नवीकृत की गई है। इस अनुज्ञप्ति के आधार पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय (प्राथमिक संव्यवहार) नहीं किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
__________जिला________

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
   (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (6)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

____________________ जिला ____________________

केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक ____________________
दिनांक_____/_____/__________

श्री/ श्रीमति/ कुमारी/मेसर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/संस्था/हिंदू अविभक्त परिवार/सोसाइटी/कोऑपरेटिव सोसाइटी/अन्य) ________________________________(पूरा नाम), ________________________________(पूरा पता) को दिनांक _____/_____/__________ को **केवल भंडारण हेतु व्यापारी कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक** अर्थात दिनांक _____/_____/__________ तक प्रभावशील रहेगी।

2. उक्त अनुज्ञप्ति केवल भंडारण हेतु स्वीकृत/नवीकृत की गई है। इस अनुज्ञप्ति के आधार पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय (प्राथमिक संव्यवहार) नहीं किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
__________जिला________

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

4. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -

    (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।

    (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।

    (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।

6. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (7)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

____________ जिला ____________

सर्वेक्षक/दलाल/परिवहनकर्ता/ग्रेडर/असेयर अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक ____________
दिनांक ____/____/________

श्री/ श्रीमति/ कुमारी/ मेसर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/संस्था/हिंदू अविभक्त परिवार/सोसाइटी/कोऑपरेटिव सोसाइटी/अन्य) ____________________(पूरा नाम), ____________________(पूरा पता) को दिनांक ____/____/________ को **सर्वेक्षक/दलाल/परिवहनकर्ता/ग्रेडर/असेयर*** **कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है। यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक** अर्थात दिनांक ____/____/________ तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
________ जिला ________

*जो भी लागू हो.

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयांवधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

7. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
   (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।
9. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (8)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

____________ जिला ____________

तुलैया अथवा तुलावटी /हम्माल अनुज्ञप्ति

संबंधित का
पासपोर्ट साइज़
फोटोग्राफ

अनुक्रमांक ____________
दिनांक ____/____/________

श्री/ श्रीमति/ कुमारी ______________________(पूरा नाम), ______________________(पूरा पता) को दिनांक ____/____/________ को **तुलैया अथवा तुलावटी/ हम्माल* कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक** अर्थात दिनांक ____/____/________ तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
________जिला________

*जो भी लागू हो.

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
   - (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।